न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेश सुराणा, RAS.
पत्रावली संख्या : 02/19 (प्रार्थना पत्र)

1. श्री गेहरीलाल पिता रता डांगी निवासी विजयपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0) ।
2. श्री तुलसीराम पिता रता डांगी निवासी विजयपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0) ।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री तेजा पिता डूंगा डांगी निवासी विजयपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।
2. श्री नारायण पिता डूंगा डांगी निवासी विजयपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।
3. श्रीमती दोली पत्नी डूंगा डांगी निवासी विजयपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।
4. श्री बंशीलाल पिता लखमा डांगी निवासी विजयपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)। (विलोपित)
5. श्री राजू पिता लखमा डांगी निवासी विजयपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)। (विलोपित)

.....विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी ।
2. श्री शरीफ मो0 सिंधी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 06.01.2020

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश कर निवेदन किया कि मौजा बडलिया पटवार हल्का बालाथल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0 में आराजी नम्बर 644 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा लगानी 0.63 रूपया स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम 2/48 हिस्से से अंकित है। उक्त वर्णित आराजी में विपक्षीगण का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य

नही है। न ही वह इस आराजी का खातेदार है। लेकिन विपक्षीगण का उक्त आराजी में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नही होते हुए जबरन प्रार्थीगण की वाद वर्णित आराजी में अनाधिकार प्रवेश कर निर्माण कार्य करने की नीयत से जबरन दिनांक 27.11.2018 को नींव खोदने पर आमाद हुए जिस पर गांव के लोगों से समझाईश करवाई तो विपक्षीगण ने कहा कि वे किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करेगें लेकिन विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को दिनांक 28.12.2018 को धमकी दी कि वे प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य करके रहेगें जिस पर प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को ऐसा करने से मना किया तो विपक्षीगण नही माने एवं गांव के लोगों द्वारा समझाईश कराने पर भी नही मान रहे है जिससे प्रार्थीगण को अपने हक व अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय मे मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना न्यायहित में आवश्यक हो गया है।

2. विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिये जाने से किसी प्रकार की कोई क्षति होने वाली नहीं है जबकि मुझ प्रार्थीगण को इतनी अशोधनीय हानि होगी जिसका एवजाना नकदी में किसी भी सुरत में नहीं आंका जा सकेगा। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया सुदृढ केस होकर सुविधा सन्तुलन एवं अतुलनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है।

3. बिनाय प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षी पहली बार दिनांक 27.11.2018 को एवं अन्तिम बार दिनांक 28.12.2018 को पैदा हुआ जबकि विपक्षी ने प्रार्थी के हक व अधिकारों को चुनौती दी एवं प्रार्थी के हक हिस्से कब्जे की भूमि पर जबरन निर्माण कार्य करने पर आमाद हुआ तब से निरन्तर जारी है।

4. अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध ता फैसला मूल वाद इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि उक्त वर्णित आराजी में आवे नही, जावे नही, जबरन कब्जा नही करे, किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे एवं प्रार्थीगण के कब्जे उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का दखल नही करे। शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। यह कार्य विपक्षीगण स्वयं अपने नौकर चाकर एजेन्ट मित्र परिवारजन आदि से भी नही करे न करावे।

5. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ़ स्वयं का शपथ पत्र एवं दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2051–54 की फोटोप्रति पेश की गई।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। विपक्षीगणो को जरिये नोटिसेज तलब किया गया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3 की ओर अस्थाई निषेधाज्ञा

से पाबंद करने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी. पेश कर विपक्षी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थीगण के इस प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी. को उचित पाये जाने से स्वीकार किया गया तथा विपक्षी संख्या 4 व 5 का नाम प्रार्थना पत्र से विलोपित करने के आदेश दिये गये।

7. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई । अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया । अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया । प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों पर मनन् किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । मौजा बड़लिया पटवार हल्का बालाथल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी सम्वत 2051–54 में खाता संख्या 44 पर दर्ज आराजी नम्बर 644 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 3 खातेदार काश्तकार नही है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण 2/48 हिस्से के खातेदार काश्तकार है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। यदि विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काश्त नही करने देंगे तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो सकती है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

8. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या–1 से 3 को ताफैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा बड़लिया पटवार हल्का बालाथल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी सम्वत 2051–54 में खाता संख्या 44 पर दर्ज आराजी नम्बर 644 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि मे विपक्षीगण अनाधिकृत प्रवेश नही करें, जबरन कब्जा नही करे, किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करे, मौके की यथास्थिति बनाए रखें । ऐसा कार्य न तो स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेण्ट परिवारजन आदि से करवावें।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

10. निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया ।

(शैलेश सुराणा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Surana
Date: 2020.02.04 17:53:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: